निगरानी / पीडीआर / 3300 / 2004 / बांसवाडा
मै0बदामी लाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्राथी (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थीगण निर्णय दिनांक 24 .10. 19 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 23(बी) राजस्थान पीडीआर एक्ट विरुद्ध निर्णय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर कैम्प बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–6–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष की ओर से निगरानी पर की गयी बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी फर्म को भूगडा नहर के निर्माण का ठेका दिया गया था। कार्य करते समय दुर्घटना घटित होने से कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गयी। श्रम आयुक्त ने क्षति पूर्ति का निर्णय पारित करने का आदेश दिया साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि संबंधित विभाग द्वारा ठेकेदार से वसूल करने का भी आदेश दिया। इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिकाऐं पेश की गई थी जिनके द्वारा कामगार आयुक्त द्वारा व एकल पीठ द्वारा जारी किये गये निर्णय को भी उचित ठहराया गया । अधिशाषी अभियन्ता भूगडा नहर खण्ड माही परियोजना बांसवाडा द्वारा संबंधित श्रमिको को क्षति पूर्ति का भुगतान कर दिया। उक्त क्षतिपूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय व कामगार आयुक्त के निर्णय अनुसार ठेकेदार से वसूल किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर जिला कलक्टर ने दोनो पक्षों को सुनकर अपीलांट को उक्त क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया जिसके विरुद्ध अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर कैम्प बांसवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में यह माना कि क्षति पूर्ति राशि या पैनल्टी राशि एवं ब्याज की राशि का भुगतान न्यायालय के आदेश की पालना में किया गया है वह	

निगरानी / पीडीआर / 3300 / 2004 / बांसवाडा
मै0बदामी लाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समस्त राशि ठेकेदार के द्वारा चुकाई जानी आवश्यक है और ठेकेदार इसके लिए उत्तदायी है। इसके अलावा उन्होने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया कि जनअभियाचन अधिनियम 1952 के तहत इस न्यायालय में सिर्फ दो बिन्दुओं के आधार पर ही अपील पेश की जा सकती है। प्रथम मांग राशि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वसूली योग्य नही है एवं द्वितीय मांग राशि पर किसी न्यायालय ने स्थगन जारी किया है क्योकि हमारे सामने ऐसा कोई तथ्य या विधिक प्रावधान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है जिसके लिए यह मांग दावे की उक्त दावे की उक्त क्षति पूर्ति की राशि जन अभियाचन अधिनियम के तहत वसूलनीय नही है या उक्त राशि के वसूल ने पर किसी न्यायालय से स्थगन है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील में को आधार व बल नही होने से अपील को अपने निर्णय दिनांक 18–6–2004 के द्वारा खारिज करते हुए जिला कलक्टर बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–5–02 की पुष्टि की गयी है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही पाते है। दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष होने से हम हस्तगत निगरानी के माध्यम से निगरानीधीन निर्णयों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। लिहाजा हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुनील कुमार शर्मा) सदस्य	

निगरानी / पीडीआर / 3300 / 2004 / बांसवाडा
मै0बदामी लाल बनाम सरकार